

**वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमान पर
वित्त सचिव का स्मृति-पत्र
विषय सूची**

		पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन	i-ii
2.	प्रस्तावना	iii-v
3.	वित्त सचिव का स्मृति-पत्र	1-9
4.	परिशिष्ट - “क” अर्थोपाय अनुमान	10
5.	परिशिष्ट -“ख” वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2021-22 तक वित्तीय विवरण एवं ग्राफ	11-16
6.	परिशिष्ट -“ग” कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व का विवरण	17
7.	परिशिष्ट - “घ” व्यय के प्रावधानों का राजस्व एवं पूंजीगत (ऋण व अग्रिम सहित) मदों में विभागवार वर्गीकरण	18-19
8.	परिशिष्ट - “ ड. ” आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में किये गये प्रावधानों का योजनावार (सब स्कीम) विवरण	20
9.	परिशिष्ट - “च” उद्देश्यवार व्यय विश्लेषण	21-22
10.	परिशिष्ट - “छ” वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान तैयार करने के संबंध में कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का पत्र	23

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 (1) के अधीन विधान सभा के समक्ष रखा गया बजट साहित्य निम्न प्रकार से है:-

- (एक) बजट अनुमान, खण्ड 1 - वित्त विवरण - जिनमें लेखाओं के निर्धारित मुख्य शीर्ष के अनुसार राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण शामिल है।
- (दो) बजट अनुमान, खण्ड 2 - राजस्व प्राप्तियां तथा लोक लेखा के विस्तृत अनुमान तथा उन पर स्पष्टीकरणात्मक टीप।
- (तीन) बजट अनुमान, खण्ड 3 - विभिन्न सेवाओं से संबंधित मांगे संक्षिप्त रूप से खण्ड तीन में मुद्रित की गई हैं। मांगों की जिस रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा सिफारिश की गई है, उसकी और राज्य की संचित निधि पर “भारित” व्यय से संबंधित विनियोगों की अनुसूची भी इसी खण्ड में संलग्न की गई है।
- (चार) बजट अनुमान, खण्ड 4 - विभिन्न बजट शीर्षों में मांग संख्या अनुसार किये गये प्रावधान तथा वर्ष 2021-22 के लिये नवीन व्यय की सूची इस खण्ड में संलग्न की गई है।
- (पांच) बजट अनुमान, खण्ड 5 - राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों, प्रतिबद्ध वार्षिकी (Annuity) देयता का विवरण तथा रियायती शर्तों पर शासकीय भूमि के आवंटन का विवरण दर्शाया गया है।
- (छः) बजट अनुमान, खण्ड 6 — जेण्डर बजट — इसमें महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के प्रावधानों को दर्शाया गया है।
- (सात) बजट अनुमान खण्ड 7 —नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा हस्तांतरित की जा रही राशि का विवरण दर्शाया गया है।
- (आठ) बजट अनुमान खण्ड 8 —इसके अन्तर्गत किसान कल्याण, कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण दर्शाया गया है।
- (नौ) बजट अनुमान खण्ड 9 - इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं के प्रावधानों का विभागवार विवरण दर्शाया गया है। वाणिज्यिक कर, राजस्व, परिवहन, खनिज तथा धर्मस्व, नियामक विभाग जैसे सामान्य प्रशासन, वित्त,

गृह, जेल तथा न्याय प्रशासन जैसी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुये विभागों की योजनाओं के लिये प्रस्तावित व्ययों का मुख्य उद्देश्य इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान से सीधे संबद्ध न होने से इन विभागों की योजनाओं हेतु बजट प्रावधान इस खण्ड में नहीं दर्शाए गए हैं।

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य विधान सभा के समक्ष जो “वार्षिक वित्तीय विवरण” रखा जाता है वही राज्य शासन का बजट होता है इस विवरण में राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2020-21 पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानित सभी लेन-देन सम्मिलित हैं।

2. वार्षिक वित्तीय विवरण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित किये गये लेखा शीर्षकों के अनुसार तैयार किया जाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत संव्यवहार या तो राज्य की संचित निधि के अंतर्गत अथवा राज्य के लोक लेखे में आते हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अधीन राज्य शासन द्वारा जरूरी अप्रत्याशित खर्च हेतु अग्रिम देने के लिये आकस्मिकता निधि स्थापित है। निधि की आपूर्ति से किये गये खर्च विधान सभा की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि में विकलित किये जाते हैं।

3. शासन की प्राप्तियां और व्यय, वर्गीकरण के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार, या तो संचित निधि अथवा लोक लेखे के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आते हैं। संचित निधि के, संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन, दो मुख्य खण्ड हैं - ‘राजस्व खाता’ एवं ‘पूंजी खाता’। पूंजी खाता में ही “लोक ऋण” तथा “ऋण एवं अग्रिम” सम्मिलित होते हैं। लेखा संव्यवहारों को इन अनुभागों के अंतर्गत सेक्टरों में समूहित किया गया है -जैसे सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें, आदि। विभिन्न “सेक्टरों” को मुख्य लेखा शीर्षकों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः मुख्य लेखा शीर्षक राज्य शासन के विभिन्न दायित्वों के द्योतक हैं, जैसे कृषि, वन, आदि। इन कार्य-क्षेत्रों में लिये गये विभिन्न कार्यक्रमों को मुख्य लेखा शीर्षक के अंतर्गत लघु शीर्षकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

4. सभी प्राप्त राजस्व, लिये गये ऋण और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से शासन को प्राप्त धन संचित निधि में आकलित किये जाते हैं। संचित निधि से धन का विनियोग केवल विधि के अनुसार तथा संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों एवं रीति से ही किया जा सकता है। शासकीय व्यय, जिसमें शासन द्वारा दिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिमों और ऋणों तथा अर्थोपाय अग्रिमों के चुकारे पर होने वाले व्यय सम्मिलित है, संचित निधि से पूरा किया जाता है। व्यय के अनुमानों में उस व्यय को, जिसे संविधान द्वारा संचित निधि पर भारित किया गया है, पूरा करने के लिये आवश्यक धन राशियों और वे धन राशियां, जो दूसरे व्यय को पूरा करने के लिये आवश्यक हैं, पृथक रूप से दर्शाई जाती हैं। इन अनुमानों में राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भी भेद किया जाता है। अन्य व्यय में पूंजीगत कार्यों पर होने वाले व्यय, शासन द्वारा दिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम, ऋणों तथा अर्थोपाय अग्रिमों के चुकारे पर होने वाला व्यय समाविष्ट रहता है।

5. संचित निधि पर “भारित” व्यय, जिन्हें विधानसभा में मतदान के लिये नहीं रखा जाता है, को छोड़कर संचित निधि से पूरे किये जाने वाले व्यय के अनुमान विधान सभा को अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन मांगों में सामान्यतः प्रत्येक प्रशासनिक सेवा या विभाग की आवश्यकतायें समाविष्ट रहती हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, एक मांग में एक से अधिक विभाग सम्मिलित नहीं रहते। किसी एक शीर्षक के अंतर्गत, जिसके लिये मतदेय मांग होती है, “भारित” व्यय भी उसी मांग में सम्मिलित है परन्तु उसे पृथक रूप से दर्शाया जाता है; और, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, उसे मतदान के लिये नहीं रखा जाता है। जहां व्यय पूरी तरह “भारित” होता है, जैसे लोक ऋण का पुनर्भुगतान, वहां उसके लिये एक पृथक विनियोग सम्मिलित किया जाता है।
6. प्रत्येक मांग में विस्तृत अनुमानों को उपयुक्त उप-शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष के अनुसार क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, जो मांग में सम्मिलित व्यय के प्रकार को दर्शाता है। उद्देश्यवार व्यय प्रावधानों का विवरण भी स्मृति पत्र में सम्मिलित किया गया है। जब तक कुल मांग से अधिक व्यय नहीं होता, तब तक शासन (और उसके अधीनस्थ वे प्राधिकारी, जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों) एक शीर्ष के अधीन आधिक्यों को दूसरे शीर्ष की बचतों से पूरा कर सकता है। परन्तु भारित व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को “मतदेय” शीर्ष के अथवा “मतदेय” व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को “भारित” शीर्ष के अंतर्गत बचतों से पूरा नहीं किया जा सकता है।
7. बजट साहित्य में खण्ड-3 में दर्शित प्रत्येक मांग के साथ स्पष्टीकरणात्मक टीप विशेष रूप से दी गई है, जिसमें मुख्य / उप मुख्य शीर्ष वार प्रावधानों का विवरण अंकित है।
8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित आंकड़े निवल आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं। अन्तर्विभागीय समायोजनों अथवा अन्य आगमों से होने वाली वसूलियों, निधियों, आदि से संबंधित समायोजन के कारण संबंधित सभी मांगों और उस शीर्षक के अधीन प्रावधानित “भारित” व्यय के जोड़ का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाये गये योग के बराबर न भी हो सकता है, क्योंकि सकल व्यय की मांग/विनियोग ही विधान सभा की अनुमति हेतु प्रस्तुत की जाती है।
9. विधान सभा द्वारा मांगों पर मतदान हो जाने के बाद इस प्रकार “मतदेय” अनुदानों और संचित निधि पर “भारित” व्यय की पूर्ति करने के लिये आवश्यक, तथा विधान सभा को प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, धनराशियों को, विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के अधीन संचित निधि में से निकाला जाता है।
10. शासन द्वारा, या उसकी ओर से, प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन को, जो संचित निधि से संबंधित न हो, लोक लेखे में आकलित किया जाता है। लोक लेखे में से भुगतानों हेतु कोई मांग विधान सभा को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है और समय-समय पर जैसी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है।

राज्य भविष्य निधियां, शासकीय विभागों की लोक जमा तथा अन्य सुरक्षित निधियां, राजस्व से विनियोग उपरांत अथवा शासन द्वारा सामान्यतः अन्यथा निर्मित तदर्थ निधियों, विविध निक्षेप तथा प्रेषण लोक लेखे में शामिल किये जाते हैं। लोक लेखे में सम्मिलित देनदारियों को किसी न किसी समय जमाकर्ता को वापस लौटाना होता है।

- (अ) लोक लेखा अन्तर्गत विशिष्ट उद्देश्य, कार्यक्रम के लिये रक्षित निधि सृजित की जाती है जिसमें राज्य सरकार द्वारा इन विशिष्ट उद्देश्य/कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु चिन्हित राजस्व प्राप्तियों या विशेष रूप से अधिरोपित उदग्रहण/करारोपण की राशि जमा होती है। रक्षित निधि, विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत सृजित होती है तथा अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमों के अनुसार संचालित होती है। आपदा राहत, ऊर्जा विकास निधि, ग्रामीण विकास निधि आदि, रक्षित निधियाँ हैं।
- (ब) पूर्व वित्तीय वर्ष में रक्षित निधि की प्राप्तियों को संबंधित राजस्व शीर्ष में स्थानान्तरित कर तदनु रूप संचित निधि की उपयुक्त व्यय मद में प्रावधानित की जाती है।
- (स) रक्षित निधियों से किए जा सकने वाले व्ययों को संबंधित निधि के प्रशासक द्वारा रीति से व्यय करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व व्यय राशि का समायोजन संचित निधि में इस हेतु किए गए प्रावधानों से किया जाकर रक्षित निधि को निरन्तर रखा जाता है।
- (द) वित्तीय वर्ष में रक्षित निधि से किए गए व्यय को संचित निधि की उपयुक्त व्यय मद में पुनर्प्राप्तियों (ऋणात्मक प्रविष्टि) के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- (इ) इस तरह ऐसी निधियों के निर्माण और उनमें धारित शेष के उपयोग पर विधान सभा का नियंत्रण सुरक्षित रखा जाता है।

11. राज्य शासन के नियंत्रण में समस्त व्यय बजट अनुमानों में परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण/शहरी निकायों, विभिन्न मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के माध्यम से किया गया व्यय राज्य की संचित निधि/लोक लेखा में सम्मिलित नहीं रहता। मंडलों/उपक्रमों के लेखे पृथकशः विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, जिसमें इनके द्वारा किया गया व्यय दृष्टिगोचर होता है।

12. विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संक्षिप्त आंकड़े तथा स्पष्टीकरणात्मक टीप आगामी पृष्ठों पर हैं :-

(1.) बजट का सार:- निम्नलिखित विवरण वर्ष 2019-2020 के लेखे, वर्ष 2020-2021 के बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमान दर्शाता है।

क्रमांक		(जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, आंकड़े ₹ करोड़ में)			
		2019.2020	2020.2021	2020.2021	2021.2022
		# प्रावधिक लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	147643.35	136596.36	137169.32	164677.45
2	कर राजस्व (2.1 + 2.2)	105341.30	94826.05	96520.58	117160.67
	2.1 राज्य कर	55855.05	48801.05	53147.12	64913.99 ^Δ
	2.2 केन्द्रीय करों में हिस्सा	49486.25	46025.00	43373.46	52246.68
3	कर भिन्न राजस्व	10349.56	8860.26	9715.08	11742.17
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	31952.49	32910.05	30933.65 ⁺	35774.61 ⁺
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8+9)	32069.20	47446.22	52663.75	51276.80
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां / ऋण एवं अग्रिम की वसूली	59.27	41.07	71.25	1507.50
7	लोक ऋण (7.1 - 7.2)	23430.79	47101.54	52286.25	49463.61
	7.1 प्राप्तियां	34364.41	63447.67	64410.64	67258.00
	7.2 भुगतान	10933.62	16346.13	12124.39	17794.39
8	आकस्मिकता निधि - (असमायोजित राशि)	0.00	0.00	0.00	0.00
9	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	8579.14	303.61	306.25	305.69
10	कुल प्राप्तियां (1+5)	179712.55	184042.58	189833.06	215954.25
11	राजस्व व्यय	150444.30	154110.37	158545.23	172970.95
	11.1 ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	14216.52	16460.21	16458.64	20942.82
12	पूंजीगत परिव्यय (12.1+12.2)	30228.01	29886.69	30960.89	44152.23
	12.1 पूंजीगत व्यय	29241.48	28350.28	29670.66	40666.76
	12.2 ऋण एवं अग्रिम	986.54	1536.41	1290.23	3485.47
13	कुल व्यय (11+12)	180672.31	183997.06	189506.12	217123.17
14	पुनर्प्राप्तियां (14.1+14.2)	3187.85	5054.32	6079.52	6457.67
	14.1 राजस्व	3187.85	3254.64	5438.85	5703.40
	14.2 पूंजीगत	0.00	1799.68	640.67	754.27
15	विनियोग की राशि (7.2+13+14)	194793.78	205397.51	207710.03	241375.23
16	वर्ष का शुद्ध लेनदेन	-959.76	45.52	326.95	-1168.93
17	अंतिम शेष	-4623.28	-3854.78	-4296.33	-5465.26
18	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (1-11)	-2800.95	-17514.01	-21375.91	-8293.50
19	प्राथमिक घाटा (13-11.1)-(1+6)	18753.17	30899.41	35806.91	29995.41
20	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (13-(1+6))	32969.69	47359.63	52265.55	50938.22
21	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर)	906672 ⁺⁺	949103 ⁺⁺⁺	949103 ⁺⁺⁺	1132116 ^{****}
22	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	-0.31	-1.85	-2.25	-0.73
23	राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	3.64 [*]	4.99 ^{**}	5.51 ^{***}	4.50 ^{****}

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पत्र क्रमांक बुक-2/बजट/2019-20/फा.10/360/दिनांक 12-01-2021 की संसूचना के आधार पर।

Δ भारत सरकार के बजट अनुमान 2021-22 (1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत) के अनुसार

+ राज्य जी.एस.टी. के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति शामिल।

++ केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2021 को प्रकाशित राज्यों के जी.एस.डी.पी. के आधार पर

+++ भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पत्र क्रमांक 40(6) PF-S/2017-18/Vol-1 दिनांक 19 मार्च 2020 के अनुसार

* भारत सरकार से 3.5 प्रतिशत सामान्य ऋण सीमा + भारत सरकार द्वारा ₹ 4443 करोड़ अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति।

** 3 प्रतिशत सामान्य ऋण सीमा + भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन 2 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण।

*** भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. विकल्प -1 के अंतर्गत ₹ 4542 करोड़ + विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत ₹ 1320 करोड़ अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति।

**** 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार संगणित। वास्तविक जी.एस.डी.पी. का अनुमान इससे भिन्न होना अनुमानित है।

(2) संचित निधि, लोक लेखा एवं आकस्मिकता निधि

निम्नलिखित वर्षों में संचित निधि, लोक लेखा एवं आकस्मिकता निधि से संबंधित संव्यवहारों का सारांश निम्नानुसार है:-

विवरण	लेखा*	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
क. प्रारंभिक शेष	-3663.53	-3900.30	-4623.28	-4296.33
ख. संचित निधि				
एक. राजस्व प्राप्तियाँ				
(क) कर राजस्व	105341.30	94826.05	96520.58	117160.67
1. राज्य कर	55855.05	48801.05	53147.12	64913.99
2. केन्द्रीय करों में हिस्सा	49486.25	46025.00	43373.46	52246.68
(ख) करेतर राजस्व	10349.56	8860.26	9715.08	11742.17
(ग) केन्द्र से सहायता अनुदान	31952.49	32910.05	30933.65	35774.61
योग-एक	147643.35	136596.36	137169.31	164677.45
दो. राजस्व व्यय	150444.30	154110.37	158545.23	172970.95
आधिक्य (+) / घाटा (-)	-2800.95	-17514.01	-21375.92	-8293.50
तीन. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	13.66	0.00	12.00	1447.00
चार. पूंजी व्यय	29241.48	28350.28	29670.66	40666.76
पांच. लोक ऋण				
(क) प्राप्तियाँ	34364.41	63447.67	64410.64	67258.00
(ख) संवितरण	10933.62	16346.13	12124.39	17794.39
योग-पांच (शुद्ध)	23430.79	47101.54	52286.25	49463.61
छः. ऋण तथा अग्रिम				
(क) प्राप्तियाँ	45.61	41.07	59.25	60.50
(ख) संवितरण	986.54	1536.41	1290.23	3485.47
योग-छः (शुद्ध)	-940.93	-1495.34	-1230.98	-3424.97
शुद्ध संचित निधि	-9538.91	-258.09	20.69	-1474.62
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
घ. लोक लेखा				
(क) प्राप्तियाँ	469150.29	699977.43	516876.81	552924.85
(ख) संवितरण	460571.15	699673.82	516570.56	552619.16
योग-घ (शुद्ध)	8579.14	303.61	306.25	305.69
वर्ष के शुद्ध लेन-देन	-959.77	45.52	326.94	-1168.93
इ. अंतिम शेष	-4623.28	-3854.78	-4296.33	-5465.26

* महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आंकड़ों के अनुसार

(3) राजस्व प्राप्तियां

विवरण	लेखा	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
(क) केन्द्रीय करों में हिस्सा	49486.25	46025.00	43373.46	52246.68
(ख) राज्य कर	55855.05	48801.05	53147.12	64913.99
(ग) करेत्तर राजस्व	10349.56	8860.26	9715.08	11742.17
(घ) केन्द्र शासन से सहायता अनुदान	31952.49	32910.05	30933.65	35774.61
योग (राजस्व प्राप्तियां)	147643.35	136596.36	137169.31	164677.45

(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण-

1. **केन्द्रीय करों में हिस्सा** - केन्द्र द्वारा अपने बजट अनुमान (फरवरी 2020 में प्रस्तुत) में केन्द्रीय करों के हिस्से में म.प्र. के लिये ₹ 61,841 करोड़ का अनुमान रखा गया था। राज्य शासन द्वारा मार्च/अप्रैल 2020 के पश्चात में कोविड-19 महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के प्रभाव को देखते हुये राज्य के बजट के आंकलन को संशोधित कर वर्ष 2020-2021 के केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का बजट अनुमान ₹ 46025 करोड़ रखा गया था। फरवरी 2021 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्य को प्राप्त योग्य राशि को घटाकर ₹ 43373.46 करोड़ कर दिया गया। इस प्रकार पुनरीक्षित अनुमान, बजट अनुमान 2020-21 से ₹ 2651.54 करोड़ कम है।

2. **राज्य कर** - राज्य के स्वयं के कर राजस्व अन्तर्गत प्राप्तियों के बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमान में ₹ 4346.07 करोड़ की वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), वैट एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में है। राज्य जी.एस.टी. के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति केन्द्र से सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है।

3. **करेत्तर राजस्व** - पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि मुख्यतः अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य इत्यादि में लक्षित वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर के कारण है।

4. **केन्द्र से सहायक अनुदान**- केन्द्र क्षेत्रिय/केन्द्र सहायतित योजनाओं में अपेक्षा से कम अनुदान प्राप्त होने की संभावना के कारण केन्द्र से सहायक अनुदान में ₹1976.40 करोड़ की कमी परिलक्षित है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

(आंकड़ों में वृद्धि/कमी वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में है)

1. **केन्द्रीय करों में हिस्सा** - भारत सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान (1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत) के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु बजट अनुमान ₹ 52246.68 करोड़ अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में यह वृद्धि 20.46 प्रतिशत है।

2. **राज्य कर** - राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 64913.99 करोड़ अनुमानित हैं। पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में यह वृद्धि 22.14 प्रतिशत है। इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य वस्तु एवं सेवाकर (एस.जी.एस.टी.), वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क एवं वाहन कर में सामान्य दर से वृद्धि दर अनुमानित की जाना है। यह भी अपेक्षा है कि वर्ष 2020-21 कोविड प्रभावित होने के कारण इसमें राजस्व प्राप्तियां कम रही थी, अतः वर्ष 2021-22 में सामान्य से अधिक वृद्धि होना अनुमानित है।

3. **करेत्तर राजस्व** - राज्य के करेत्तर राजस्व ₹ 11742.17 करोड़ अनुमानित हैं। पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में यह वृद्धि 20.87 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज एवं वन में सामान्य वृद्धि अनुमानित की जाने के कारण है। यह भी अपेक्षा है कि वर्ष 2020-21 कोविड प्रभावित होने के कारण इसमें राजस्व प्राप्तियां कम रही थी, अतः वर्ष 2021-22 में सामान्य से अधिक वृद्धि होना अनुमानित है।

4. **केन्द्र से सहायक अनुदान** - वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 35774.61 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया है। पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में यह वृद्धि 15.65 प्रतिशत है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जी.एस.टी.) अन्तर्गत राज्य के स्वयं के कर राजस्व (राज्य जी.एस.टी.) में हो रही हानि की क्षतिपूर्ति भी इस मद में शामिल है।

(4) राजस्व व्यय-

विवरण	लेखा	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
	150444.30	154110.37	158545.23	172970.95

(क) बजट अनुमान 2020-21 तथा पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण-

पुनरीक्षित अनुमान, बजट अनुमान से ₹ 4434.86 करोड़ अधिक है जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से राहत में अतिरिक्त सहायता प्राप्त होना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं हाउसिंग फॉर आल में अतिरिक्त राशि प्राप्त होना है, जिसका व्यय इस वर्ष किया जाना संभावित है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

(आंकड़ों में वृद्धि/कमी वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में है)

बजट अनुमान में वृद्धि की गई है। वृद्धि मुख्यतः पेंशन, ब्याज अदायगी, कार्मिक सेवायें एवं हितलाभ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, वन, सिंचाई एवं ऊर्जा की योजनाओं के बजट अनुमान के कारण है।

(5) राजस्व आधिक्य/घाटा

विवरण	लेखा	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
राजस्व प्राप्तियां	147643.35	136596.36	137169.31	164677.45
राजस्व व्यय	150444.30	154110.37	158545.23	172970.95
आधिक्य(+)/घाटा(-)	-2800.95	-17514.01	-21375.92	-8293.50

(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2020-21 में भिन्नता के कारण-

वर्ष 2020-21 के लिये राजस्व घाटा के बजट अनुमान ₹ 17514.01 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹ 21375.92 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्यों को केन्द्रीय करों में दी जाने वाली हिस्सेदारी की राशि में कमी आई है, जिससे राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये राज्यों को वित्तीय संसाधनों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की व्यवस्था दी गई, जिसके अधीन मध्यप्रदेश को 1.9 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण की अनुमति प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा विकल्प-1 के अंतर्गत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में रुपये 4542 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अतिरिक्त सीमा के अनुमति के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्ष 2020-21 में संशोधन किया गया है। राज्य शासन की प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्व व्यय की वृद्धि हुई है। इस आधार पर वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा का पुनरीक्षित अनुमान रखा गया है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भारत सरकार एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये राज्य को 4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रों में कुछ सुधारों के आधार पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की सीमा भी अनुशंसित है। वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि अनुमानित है, तथा इस आधार पर राजस्व घाटा ₹ 8293.50 करोड़ अनुमानित किया गया है। राजस्व आय में कम राशि प्राप्त होने के कारण राजस्व व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा।

(6) पूंजीगत व्यय-

विवरण	लेखा	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
		29241.48	28350.28	29670.66
				40666.76

(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण-

पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान से वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिये ₹ 1320 करोड़ का 50 वर्ष का व्याज रहित ऋण की स्वीकृति है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

(आंकड़ों में वृद्धि/कमी वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में है)

पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 अंतर्गत पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण एवं ऊर्जा अंतर्गत किये गये प्रावधानों के कारण परिलक्षित है। कोविड-19 महामारी के पश्चात् आर्थिक क्षेत्र में मंदी से उभरने के लिये पूंजीगत निवेश बढ़ाना आवश्यक हो गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो सकेगा।

(7) लोक ऋण-

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
-------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------

1. प्राप्तियां

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-

- बाजार ऋण	22371.39	45992.67	45573.00	47760.00
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उधार	1950.90	3000.00	2350.00	2500.00
- क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	27.09	75.00	75.00	40.00
- अन्य संस्थाओं से उधार	0.00	80.00	79.98	0.00
- भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	0.00	4000.00	0.02	4000.00
- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5147.11	4800.00	4970.64	5500.00

केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम-

योग	4867.92	5500.00	11362.00	7458.00
-----	---------	---------	----------	---------

2. संवितरण

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

- बाजार ऋण	5821.02	6920.04	6920.04	8200.09
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	9.30	8.70	8.70	8.50
- भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	0.99	0.95	0.95	0.90
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उधार	1599.90	1740.44	1740.44	1850.00
- प्रतिबंध तथा अन्य बंध पत्र	47.16	0.00	0.00	0.00
- भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों से उधार	0.00	0.00	0.00	0.00
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	38.04	40.00	43.00	34.47
- अन्य संस्थाओं से उधार	19.62	23.43	23.43	34.00
- भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापय अग्रिम	0.00	4000.00	0.02	4000.00
- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2177.04	2030.00	2030.00	2200.00

केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम

योग	1220.56	1582.57	1357.81	1466.43
शुद्ध	10933.63	16346.13	12124.39	17794.39
	23430.78	47101.54	52286.25	49463.61

प्राप्तियां एवं संवितरण-

वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में शुद्ध लोक ऋण बजट अनुमान से अधिक प्राप्त होना अनुमानित है। इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा विकल्प 1 के अंतर्गत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान के एवज में ₹ 4542 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण तथा कोविड-19 के कारण राज्य की धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था में उछाल लाने के लिये निवेश बढ़ाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिये ₹ 1320 करोड़ का 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति प्राप्त होना है। पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में शुद्ध लोक ऋण में कमी संभावित है। 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये राज्य को 4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा का निर्धारण है, इसके अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रों में कुछ सुधारों के आधार पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत की सीमा अनुशंसित होना है। जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान 5.51 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत को लेकर अनुमानित किया गया है। इस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गई है। यह भारत सरकार के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 की जी.एस.डी.पी. का आंकलन 15वें वित्त आयोग द्वारा दिये गये सूत्र अनुसार है। आयोग की अनुशंसाओं पर केन्द्र का अंतिम निर्णय अपेक्षित है। केन्द्र के निर्णय के अनुसार जी.एस.डी.पी. आंकड़े में परिवर्तन की संभावना है। ऋण के भुगतान संबंधी प्रावधान अभिहित कार्यक्रम अनुसार है।

(8) राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की वसूली

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
प्राप्तियां	45.61	41.07	59.25	60.50
संवितरण	986.54	1536.41	1290.23	3485.47

प्राप्तियां**(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण -**

प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से भिन्नता का मुख्य कारण शहरी विकास एवं सहकारिता के लिये कर्ज की आंशिक वसूली होना है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

बजट अनुमान अनुसार प्राप्तियां ₹ 60.50 करोड़ अनुमानित है।

संवितरण**(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण -**

बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में कमी का मुख्य कारण शहरी विकास के लिये कर्ज में कमी है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 में संवितरण में वृद्धि अनुमानित है। जिसका मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाओं, शहरी विकास एवं खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार के लिये कर्ज के बजट अनुमान है।

(9) विविध पूंजीगत प्राप्तियां

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	13.66	0.00	12.00	1447.00

बजट अनुमान वर्ष 2021-22 में विनिवेश से ₹ 1447.00 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित है।

(10) लोक लेखा-

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
प्राप्तियां	469150.29	699977.43	516876.81	552924.85
संवितरण	460571.15	699673.82	516570.56	552619.16
शुद्ध	8579.14	303.61	306.25	305.69

(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण -

वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान के शुद्ध प्राप्तियों में आंशिक वृद्धि अनुमानित है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

(आंकड़ों में वृद्धि/कमी वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में है)

शुद्ध प्राप्तियों में सामान्य प्राप्ति अनुमानित है।

(11) अंतिम शेष-

विवरण	लेखा	बजट	पुनरीक्षित	बजट
	2019-2020	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2020-2021	अनुमान 2021-2022
अंतिम शेष	-4623.28	-3854.78	-4296.33	-5465.26

(क) बजट अनुमान 2020-21 एवं पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में भिन्नता के कारण-

पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 में बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में वृद्धि है। इसका मुख्य कारण वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजस्व घाटा तथा वर्ष 2019-20के अद्यतन प्राप्त वित्त लेखों से अंतिम शेष के आंकड़ों का वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान से भिन्नता है।

(ख) बजट अनुमान 2021-22

(आंकड़ों में वृद्धि/कमी वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में है)

बजट अनुमान 2021-22 में पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 से वृद्धि की संभावना है। इसका मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व घाटा में वृद्धि है।

(12) नवीन व्यय वर्ष 2021-22

विवरण	योग
(क) राजस्व लेखा	7934.34
(ख) पूंजी लेखा	5174.77
(ग) ऋण तथा अग्रिम	1.00
योग	13110.10

(13) 2021-22 के लेखे के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन लेन-देने के विस्तृत ब्यौरे-

विवरण	प्राप्तियां	भुगतान	अंतर
राजस्व	164677.45	172970.95	-8293.50
पूंजी	1447.00	40666.76	-39219.76
लोक ऋण	67258.00	17794.39	49463.61
ऋण तथा अग्रिम	60.50	3485.47	-3424.97
लोक लेखा	552924.85	552619.16	305.69
वर्ष का कुल लेन देन	786367.80	787536.73	-1168.93
प्रारंभिक शेष			-4296.33
अंतिम शेष			-5465.26

(14) निधि का स्रोत एवं उपयोग पत्रक-

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
साधन				
1 राजस्व प्राप्तियां	147643.35	136596.36	137169.31	164677.45
2 ऋण तथा अग्रिम/विविध पूंजीगत 'प्राप्तियां' की वसूली	59.27	41.07	71.25	1507.50
3 लोक ऋण में वृद्धि (शुद्ध)	23430.79	47101.54	52286.25	49463.61
4 लोक लेखा (शुद्ध)	8579.14	303.61	306.25	305.69
5 आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	179712.55	184042.58	189833.06	215954.25
उपयोग				
1 राजस्व व्यय	150444.30	154110.37	158545.23	172970.95
2 विकास के अन्य उद्देश्यों के लिए उधार	986.54	1536.41	1290.23	3485.47
3 पूंजीगत व्यय	29241.48	28350.28	29670.66	40666.76
4 नगद शेष	-959.77	45.52	326.94	-1168.93
योग	179712.55	184042.58	189833.06	215954.25

(15) सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के विशेष महत्व के आंकड़े-

विवरण	बजट अनुमान 2021-2022
1 सामान्य	69630.30
2 अनुसूचित जनजाति (सब स्कीम)	24910.99
3 अनुसूचित जाति (सब स्कीम)	17980.05
योग	112521.34

(16) शासकीय प्रतिभूतियां-

विवरण	31 मार्च की स्थिति में विनियोजन		
	2020 (लेखा)	2021 (प्रत्याशित)	2022 (अनुमान)
1. गारंटी मोचन निधि निवेश लेखा	408.79	437.79	451.79
2. राजस्व आरक्षित निधि निवेश लेखा	7.61	7.61	7.61
3. नगद शेष निवेश लेखा	11270.17	8375.28	5190.90
4. अकाल राहत निधि निवेश लेखा	0.00	0.00	0.00
	11686.57	8820.68	5650.30
ऋण पत्र (डिबेंचर)			
कोषागार बिल	11270.17	8375.28	5190.90
निवेश	36373.52	39397.84	41955.47

(17) राज्य शासन की ऋण स्थिति-

विवरण	31 मार्च की स्थिति में विनियोजन		
	2020 (लेखा)	2021 (प्रत्याशित)	2022 (अनुमान)
(क) बाजार से ऋण	115367.71	154020.67	193580.58
केन्द्र शासन से ऋण	21035.97	31040.16	37031.73
अन्य संस्थाओं से ऋण			
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	24.44	15.74	7.24
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	9863.42	10472.98	11122.98
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	186.07	218.07	223.60
अन्य संस्थाओं से उधार	136.24	192.79	158.79
साधारण बीमा निगम से ऋण	2.28	1.33	0.43
क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्डस	7360.44	7360.44	7360.44
भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों से उधार	0.77	0.77	0.77
अल्प बचत ऋण	26851.37	29792.01	33092.01
योग	180828.71	233114.96	282578.57
(ख) अन्य ऋण			
भविष्य निधि आदि	17800.41	19076.14	20352.22
सब्याज जमा (परिवार कल्याण निधि योजना, आदि)	-44.85	-84.25	-123.65
शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना	1233.14	1228.75	1224.45
योग	18988.70	20220.64	21453.02
कुल योग*	199817.41	253335.60	304031.59
घटाइये-राज्य को देय बकाया ऋण	43085.15	44316.13	47741.10
शुद्ध ऋण	156732.26	209019.47	256290.49

कुल ऋण एवं अन्य दायित्व****220563.15****273155.66****322924.95**

* राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण) - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा आदि) सम्मिलित है।

** कुल ऋण एवं अन्य दायित्व- इसमें राज्य के कुल ऋण के साथ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां एवं जमा सम्मिलित है।

(18) ऋण बकाया का विवरण

	2020 (लेखा)	2021 (प्रत्याशित)	2022 (अनुमान)
आवास के लिए	176.00	176.00	176.00
शहरी विकास के लिए	2148.18	2400.78	3188.40
सहकारी संस्थाओं	1510.11	1515.44	1518.54
विद्युत	33490.46	34048.87	34474.44
सड़क परिवहन	54.82	54.82	54.82
सरकारी कर्मचारियों	19.11	19.79	20.47
अन्य	5686.47	6100.43	8308.43
योग	43085.15	44316.13	47741.10

विस्तृत जानकारी के लिये आवश्यक परिशिष्ट एवं खण्ड संलग्न किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों, रियायती शर्तों पर शासकीय भूमि के आवंटन, उच्च शिक्षा हेतु दी जा रही गॉरंटी एवं एन्यूटी के विवरण खण्ड-5 में शामिल किये गये हैं।

भोपाल

दिनांक 02 मार्च, 2021

डॉ. मनोज गोविल**प्रमुख सचिव****मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग**

परिशिष्ट-क
अर्थोपाय अनुमान

विवरण	लेखा 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
प्रारंभिक शेष	-3663.53	-3900.30	-4623.28	-4296.33
वर्ष के लेन-देन				
राजस्व आधिक्य/कमी	-2800.95	-17514.01	-21375.92	-8293.50
पूंजी व्यय	-29227.82	-28350.28	-29658.66	-39219.76
लोक ऋण (शुद्ध)	23430.79	47101.54	52286.25	49463.61
राज्य शासन द्वारा ऋण (शुद्ध)	-940.93	-1495.34	-1230.98	-3424.97
आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा (शुद्ध)				
भविष्य निधि, आदि	2456.41	1269.69	1272.33	1271.77
आरक्षित निधि	5825.63	-622.43	332.24	-1298.08
जमा तथा अग्रिम	4548.79	1419.97	1399.21	1400.41
उचन्त तथा विविध	-4183.50	-1667.73	-2610.61	-972.81
प्रेषण	-68.54	-95.89	-86.92	-95.61
वर्ष के शुद्ध लेन-देन	-959.77	45.52	326.94	-1168.93
अन्तिम शेष	-4623.28	-3854.78	-4296.34	-5465.26

परिशिष्ट-ख

वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक वित्तीय विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
		लेखा	लेखा	लेखा	लेखा	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	123306.79	134875.39	150391.78	147643.35	137169.32	164677.45
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	90257.75	95663.92	108479.58	105341.30	96520.58	117160.67
	2.1 राज्य कर	44193.78	44810.85	51126.49	55855.05	53147.12	64913.99
	2.2 केन्द्रीय करों में हिस्सा	46063.97	50853.07	57353.09	49486.25	43373.46	52246.68
3	कर भिन्न राजस्व	9086.51	9061.18	13287.51	10349.56	9715.08	11742.17
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	23962.53	30150.29	28624.68	31952.49	30933.65	35774.61
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8+9)	27397.36	27508.41	18730.46	32069.20	52663.75	51276.80
6	विविध पूंजीगत प्राप्तियां/उधार एवं अग्रिम की वसूली	796.26	5403.79	83.67	59.27	71.25	1507.50
		+++					
7	शुद्ध लोक ऋण	24922.00	16115.78	18973.70	23430.79	52286.25	49463.61
8	आकस्मिकता निधि- (असमायोजित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	लोक लेखा - शुद्ध	1679.10	5988.84	-326.90	8579.14	306.25	305.69
10	कुल प्राप्तियां (1+5)	150704.15	162383.80	169122.24	179712.55	189833.07	215954.25
			++				
11	राजस्व व्यय (14+16)	119537.37	130246.09	141577.21	150444.30	158545.23	172970.95
	11.1 ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	9079.49	11045.34	12695.69	14216.52	16458.64	20942.82
12	पूंजीगत परिव्यय (12.1+12.2)	32229.25	32463.41	30514.90	30228.02	30960.89	44152.23
	12.1 पूंजीगत व्यय (15.1 + 18.1)	27288.32	30913.22	29424.19	29241.48	29670.66	40666.76
	12.2 ऋण एवं अग्रिम (15.2 + 18.2)	4940.93	1550.19	1090.71	986.54	1290.23	3485.47
		+					
13	कुल व्यय (11+12)	151766.62	162709.50	172092.71	180672.32	189506.12	217123.18
14	अंतिम शेष	-52.98	-693.64	-3663.52	-4623.28	-4296.33	-5465.26
15	राजस्व आधिक्य (1-11)	3769.42	4629.30	8814.57	-2800.95	-21375.91	-8293.50
16	प्राथमिक घाटा (13-11.1)-(1+6)	18584.08	11384.98	8920.97	18753.18	35806.91	29995.41
			+++				
17	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (13-(1+6))	27663.57	22430.33	21616.67	32969.69	52265.55	50938.22


+ विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना अन्तर्गत ₹7568 करोड़ (₹ 4011 करोड़ राजस्व + ₹ 3557 करोड़ पूंजीगत) की सहायता।

++ विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना अन्तर्गत ₹4622 करोड़ (₹ 611 करोड़ राजस्व + ₹ 4011 करोड़ पूंजीगत) का समायोजन।


+++ ₹7361 करोड़ ऋण उदय योजना अंतर्गत शामिल।

नोट: भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर मद के विभेदीकरण की समाप्ति।

राजस्व आधिक्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत




राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत






* ₹ 7361 करोड़ के विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजनान्तर्गत प्रावधान शामिल।



ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत




ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत (आरक्षित एवं जमा निधियों को छोड़कर)








पूँजीगत परिव्यय



** ₹ 3557 करोड़ के विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजनान्तर्गत प्रावधान शामिल।

*** ₹ 4011 करोड़ के विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजनान्तर्गत प्रावधान शामिल।

पूँजीगत परिव्यय का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत



परिशिष्ट-ग

कर राजस्व एवं करेतर राजस्व का विवरण

(रुपये करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21	2021-22
					ब.अ.	पु.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य कर							
0006	राज्य जी.एस.टी.	0.00	8696.12	18618.65	20447.78	16111.00	23000.00
0023	होटल प्राप्ति कर	2.15	0.63	0.01	0.14	0.00	0.00
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	327.42	342.23	425.29	309.47	325.00	340.00
0029	भू-राजस्व	406.65	490.99	383.91	562.37	500.00	850.00
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3925.43	4788.51	5277.99	5568.59	5000.00	6495.00
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	583.52	643.72	701.15	719.44	650.00	680.00
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	7532.59	8245.01	9542.15	10829.35	9000.00	12109.00
0040	विक्री, व्यापार आदि पर कर	22561.12	1962.44	9903.20	11257.71	11208.00	14240.00
0041	वाहन कर	2251.51	2691.62	3008.26	3251.23	2500.00	3600.00
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	3805.04	1159.30	117.50	145.02	90.00	50.00
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	2620.53	2590.29	2616.29	2268.00	3000.00	3100.00
0045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	177.82	178.40	532.08	495.96	417.05	449.99
करेतर राजस्व							
0406	वानिकी और वन्य जीवन	917.98	1112.25	2009.76	834.26	1400.39	1311.26
0700-0701-0702	सिंचाई	574.36	523.90	1230.51	406.59	420.87	441.73
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3168.28	3640.72	3933.56	4320.22	3600.00	5950.00
	अन्य करेतर राजस्व	4425.89	3784.31	3201.41	4788.49	3439.00	4039.18

व्यय के प्रावधानों का राजस्व एवं पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित) मदों में
विभागवार वर्गीकरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

विभाग	बजट अनुमान 2021-2022		
	राजस्व	पूंजीगत	योग
सामान्य प्रशासन विभाग	925.50	90.48	1,015.99
गृह विभाग	7,930.35	742.16	8,672.51
जेल विभाग	458.04	70.50	528.54
वित्त विभाग	38,701.58	19,599.76	58,301.34
वाणिज्यिक कर विभाग	1,998.69	11.72	2,010.41
अध्यात्म विभाग	105.31	18.00	123.31
राजस्व विभाग	6,417.78	765.30	7,183.08
परिवहन विभाग	103.30	13.60	116.90
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	154.79	72.28	227.07
वन विभाग	2,320.54	1,119.07	3,439.61
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	1,020.98	826.00	1,846.98
खनिज साधन विभाग	709.29	8.50	717.79
ऊर्जा विभाग	9,988.37	2,195.13	12,183.50
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	15,128.06	63.00	15,191.06
सहकारिता विभाग	1,363.45	61.14	1,424.58
श्रम विभाग	921.59	0.00	921.59
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7,530.09	515.67	8,045.76
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	10,774.54	2,413.67	13,188.20
लोक निर्माण विभाग	1,728.95	5,612.18	7,341.13
स्कूल शिक्षा विभाग	24,242.86	1,710.02	25,952.89
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1,838.04	239.50	2,077.54
पंचायत विभाग	4,767.02	0.00	4,767.02
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	187.59	453.10	640.69
जन संपर्क विभाग	353.85	5.00	358.85
जनजातीय कार्य विभाग	8,045.57	1,751.17	9,796.74
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	3,718.22	7.06	3,725.28
नर्मदा घाटी विकास विभाग	14.04	3,666.13	3,680.17
पुनर्वास विभाग	0.43	0.00	0.43
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,053.82	61.33	1,115.15
संस्कृति विभाग	207.87	104.85	312.72
जल संसाधन विभाग	1,259.46	5,176.59	6,436.05
पर्यटन विभाग	98.28	107.14	205.42
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	846.88	7,811.76	8,658.64
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1,056.10	10.18	1,066.27
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	195.71	0.01	195.72
उच्च शिक्षा विभाग	2,640.15	827.63	3,467.78
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	138.78	101.65	240.43
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	1,041.41	333.61	1,375.02
लोक सेवा प्रबंधन विभाग	55.26	1.00	56.26
विमानन विभाग	38.28	1.00	39.28
भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	124.34	6.50	130.84
संसदीय कार्य विभाग	100.89	0.00	100.89
महिला एवं बाल विकास विभाग	5,072.49	106.76	5,179.25
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	105.88	1.37	107.25
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,392.28	1,272.54	2,664.82
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग	759.31	95.70	855.01
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1,285.53	212.20	1,497.73
ग्रामीण विकास विभाग	8,041.52	4,234.00	12,275.52

व्यय के प्रावधानों का राजस्व एवं पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित) मदों में
विभागवार वर्गीकरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

विभाग	बजट अनुमान 2021-2022		
	राजस्व	पूंजीगत	योग
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	663.66	35.00	698.66
आयुष विभाग	524.75	19.00	543.75
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	39.67	0.00	39.67
विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग	28.36	6.16	34.52
प्रवासी भारतीय विभाग	0.91	0.00	0.91
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	424.57	134.50	559.07
पर्यावरण विभाग	21.00	0.25	21.25
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	8.36	10.00	18.36
	1,78,674.34	62,700.87	2,41,375.20

आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए किये गये प्रावधानों का
योजनावार (सब स्कीम) विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 2021-2022			योग
	सामान्य	अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)	अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)	
जनजातीय कार्य विभाग	0.00	4,486.57	2.15	4,488.72
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	18.91	0.00	1,460.15	1,479.06
ग्रामीण विकास विभाग	7,547.45	2,699.38	2,028.69	12,275.52
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4,284.16	1,669.09	1,968.14	7,921.39
महिला एवं बाल विकास विभाग	2,884.14	1,137.93	801.96	4,824.03
खेल एवं युवक कल्याण विभाग	126.98	50.15	40.16	217.29
वन विभाग	1,581.48	373.35	117.44	2,072.27
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	1,838.85	0.00	0.00	1,838.85
ऊर्जा विभाग	6,777.88	1,422.48	809.30	9,009.66
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	7,345.30	2,572.52	2,534.95	12,452.77
सहकारिता विभाग	833.92	260.78	181.41	1,276.11
श्रम विभाग	366.61	132.00	102.00	600.61
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	3,924.23	1,089.40	1,252.83	6,266.46
लोक निर्माण विभाग	4,772.13	983.31	889.60	6,645.04
स्कूल शिक्षा विभाग	4,097.79	1,542.32	1,813.63	7,453.74
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	386.04	99.92	74.33	560.29
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2,286.59	766.57	606.37	3,659.53
नर्मदा घाटी विकास विभाग	2,751.04	790.64	110.60	3,652.28
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	609.23	245.19	158.77	1,013.19
संस्कृति विभाग	234.18	18.50	7.50	260.18
जल संसाधन विभाग	4,563.69	836.18	357.05	5,756.92
पर्यटन विभाग	155.77	31.90	17.75	205.42
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	4,879.01	1,638.64	1,142.13	7,659.78
पशुपालन एवं डेयरी विभाग	648.92	187.04	123.15	959.11
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	93.90	26.64	18.36	138.90
उच्च शिक्षा विभाग	2,095.77	709.49	562.50	3,367.76
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	165.57	37.27	30.60	233.44
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	658.19	219.09	166.65	1,043.93
भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वासि विभाग	127.98	0.02	0.02	128.02
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	39.48	5.16	3.33	47.97
चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,698.05	564.69	372.46	2,635.20
पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग	815.44	0.00	0.00	815.44
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	324.84	96.93	69.26	491.03
आयुष विभाग	336.05	121.07	85.85	542.97
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	17.05	5.75	4.00	26.80
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	4.98	2.06	26.80	33.84
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	338.77	88.96	40.17	467.90
कुल योग	69,630.37	24,910.99	17,980.06	1,12,521.42

उद्देश्यवार प्रावधानों का विश्लेषण (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर)

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

व्यय के प्रकार	लेखा 2019-2020	कुल व्यय का प्रतिशत	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट अनुमान 2021-2022	कुल व्यय का प्रतिशत
1 कार्मिक सेवाएं एवं हितलाभ						
11 - वेतन, भत्ते	29,635.66	15.47	38,440.74	19.07	45,461.61	19.69
12 - मजदूरी	1,524.03	0.8	1,893.07	0.94	2,081.67	0.9
13 - पेंशन तथा अनुधांगिक लाभ	11,162.89	5.83	13,294.73	6.59	14,940.57	6.47
14 - पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान	61.86	0.03	98.93	0.05	111.36	0.05
15 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन	955.98	0.5	1,242.51	0.62	2,193.51	0.95
16 - वेतन भत्ते-अखिल भारतीय सेवा	140.16	0.07	180.22	0.09	225.23	0.1
17 - वेतन भत्ते-विधायक/मंत्री	26.94	0.02	29.60	0.02	29.44	0.02
18 - वेतन भत्ते-न्यायिक सेवा	289.20	0.15	380.59	0.19	581.83	0.25
19 - कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन	1,262.14	0.66	1,173.41	0.59	1,337.33	0.58
योग =	45,058.86		56,733.80		66,962.55	
प्रतिशत =	23.53		28.16		29.01	
2 प्रशासकीय व्यय						
21 - यात्रा भत्ता	163.83	0.09	143.23	0.07	165.98	0.08
22 - कार्यालय व्यय	941.49	0.49	1,138.80	0.56	1,385.23	0.6
23 - वाहनों का क्रय	26.42	0.01	90.53	0.05	27.83	0.01
24 - परीक्षा एवं प्रशिक्षण	147.13	0.08	171.99	0.09	250.11	0.11
25 - विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधाओं पर व्यय	2.76	0.0	2.97	0.0	3.89	0.0
26 - सीमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन	9.60	0.0	13.10	0.01	33.76	0.01
27 - वृहद् सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	38.97	0.02	121.78	0.06	329.75	0.15
योग =	1,330.20		1,682.40		2,196.55	
प्रतिशत =	0.69		0.84		0.96	
3 संविदा सेवाएं एवं आपूर्तियां						
31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिर्यौ	2,649.67	1.39	3,061.81	1.51	3,471.62	1.5
32 - लघु निर्माण कार्य	1,368.42	0.71	680.58	0.34	375.00	0.16
33 - अनुसंधान कार्य	1,369.13	0.71	1,351.61	0.67	1,806.39	0.79
34 - सामग्री एवं पूर्तियां	4,199.38	2.19	3,956.44	1.96	3,376.84	1.46
35 - विज्ञापन एवं प्रचार	279.65	0.14	304.83	0.15	310.72	0.13
36 - कपड़े, बिस्तर तथा टेन्ट्स	0.55	0.0	4.50	0.0	5.87	0.0
37 - मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	19.45	0.01	17.32	0.01	26.11	0.01
योग =	9,886.25		9,377.09		9,372.55	
प्रतिशत =	5.15		4.64		4.05	
4 अनुदान आदि						
41 - छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	2,393.68	1.25	2,141.32	1.06	2,437.16	1.06
42 - सहायक अनुदान	64,444.15	33.63	55,085.22	27.32	50,160.43	21.72
43 - अंशदान	935.47	0.49	1,596.49	0.79	2,032.10	0.88
44 - राजसहायता	12,641.50	6.6	13,457.48	6.68	18,572.01	8.04
45 - पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	814.17	0.42	738.52	0.37	1,157.52	0.5
योग =	81,228.97		73,019.03		74,359.22	
प्रतिशत =	42.39		36.22		32.2	
5 अन्य व्यय						
50 - प्रतिकर का भुगतान	30.61	0.02	1.18	0.0	0.60	0.0
51 - अन्य प्रभार	1,135.25	0.59	1,668.00	0.82	2,620.45	1.13
52 - व्याज/लाभांश भुगतान	14,250.48	7.44	16,479.04	8.18	20,977.35	9.09
53 - डिग्री धन का भुगतान (मारित)	13.97	0.0	110.67	0.05	115.45	0.05
54 - क्षतिपूर्ति	58.24	0.03	61.90	0.03	90.51	0.04
55 - उच्चन्त	0.05	0.0	1.26	0.0	2.26	0.0
56 - गोपनीय सेवा व्यय	8.24	0.0	8.77	0.0	10.54	0.0
58 - करों एवं रायल्टी का भुगतान	0.04	0.0	0.29	0.0	0.78	0.0
59 - स्टाफों की छपाई पर व्यय	14.15	0.02	47.05	0.04	29.60	0.02
योग =	15,511.03		18,378.16		23,847.54	
प्रतिशत =	8.1		9.12		10.33	
6 पूंजीगत आस्तियों का अर्जन एवं अन्य पूंजीगत व्यय						
61 - सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय	13.00	0.01	27.03	0.01	51.32	0.02
62 - भूमि व भवनों का क्रय/अधिग्रहण	22.31	0.01	226.15	0.11	829.60	0.36
63 - मशीनें	400.54	0.21	517.86	0.26	1,490.58	0.65
64 - वृहद् निर्माण कार्य	23,604.58	12.32	23,282.82	11.55	33,440.08	14.48
65 - धनवेचन/निवेश	1,088.39	0.57	3,024.32	1.5	2,557.63	1.11
66 - ऋण अदायगी	10,933.62	5.71	12,234.37	6.07	15,147.53	6.56

उद्देश्यवार प्रावधानों का विश्लेषण (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर)

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

व्यय के प्रकार	लेखा 2019-2020	कुल व्यय का प्रतिशत	पुनरीक्षित अनुमान 2020-2021	कुल व्यय का प्रतिशत	बजट अनुमान 2021-2022	कुल व्यय का प्रतिशत
67 - ऋण तथा अग्रिम	987.08	0.51	1,174.41	0.58	1,611.83	0.7
68 - एन्स्यूटी	916.20	0.48	860.00	0.43	825.00	0.36
योग =	37,965.72		41,346.96		55,953.57	
प्रतिशत =	19.82		20.51		24.24	
7 लेखा अंतरण / समायोजन						
71 - मूल्य ह्रास	0.00	0.0	0.01	0.0	0.25	0.0
73 - अन्तर लेखा अन्तरण	3,812.66	1.99	7,172.56	3.56	4,682.95	2.03
74 - (-) पुनर्प्राप्तियाँ	-3,187.85	-1.66	-6,079.52	-3.02	-6,457.67	-2.8
योग =	624.81		1,093.05		-1,774.47	
प्रतिशत =	0.33		0.54		-0.77	
वृद्ध योग =	1,91,605.84		2,01,630.49		2,30,917.51	
प्रतिशत =	100.0		100.0		100.0	

टीप:- उपरोक्त विश्लेषण में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम एवं कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम की वापस की गई राशि (मुख्य शीर्ष-6003 लघु शीर्ष-110) सम्मिलित नहीं है ।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले/ह)-प्रथम
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कं० बुक-2/बजट/2019-20/फा.10/360

दिनांक 12/01/2021

प्रति,

संचालक (बजट)
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय (मध्यप्रदेश)
वल्लभ भवन, भोपाल - 462 004

विषय:-

वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमान तैयार करने के संबंध में।

संदर्भ:-

आपके पत्र कं० 629/815/2011/ब-1/चार दिनांक 18.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के संबंध में लेख है कि वर्ष 2019-20 के 14th Accounts को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इससे संबंधित Report on Expenditure तैयार कर आपके कार्यालय को e-mail में दिनांक 11.01.2021 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त आंकड़े Provisional and Unaudited हैं। बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 तैयार करने में इसका उपयोग किया जा सकता है।

पत्र उपमहालेखाकार (लेखा) द्वारा अनुमोदित।

भवदीय


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/बुक-2